

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,  
प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल- 462004

1

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 02/07/2021

फा.क्रमांक- 2265/21-ब(दो)/2021, राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रं. 52 सन् 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मुख्यालय भोपाल में संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों के विचारण हेतु अभिहित विशेष न्यायालय, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरणों के संचालन हेतु शासन की ओर श्री कमल किशोर वर्मा, अधिवक्ता को एतद्द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

श्री कमल किशोर वर्मा, अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में पैरवी के फलस्वरूप फीस विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 15/07/2007 के अनुसार अधिकतम सीमा मासिक न होकर 7,000/-रुपये प्रति होगी तथा भुगतान प्रकरण समाप्ति पर देय होगा, जिसका भुगतान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( गोपाल श्रीवास्तव )  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,  
भोपाल, दिनांक 02/07/2021

पृ० पंजी० क्रमांक-2265/21-ब(दो)/2021

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार जँनरल, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर (म.प्र.)
  - 2- महाधिवक्ता, कार्यालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र.)
  - 3- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला भोपाल (म.प्र.)
  - 4- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला भोपाल (म.प्र.)
  - 5- विशेष न्यायालय, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)
  - 6- सचिव, म०प्र० शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)
  - 7- संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भदभदा रोड भोपाल (म.प्र.)
  - 8- श्री कमल किशोर वर्मा आ.श्री डी०पी०वर्मा, निवासी-59, आकाशवाणी कॉलोनी, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल
  - 9- पुलिस महानिदेशक म.प्र., पुलिस महानिदेशक कार्यालय पी०एच०क्यू०, जहांगीराबाद, भोपाल (म०प्र०)
  - 10- लोक अभियोजक/शासकीय अभिभाषक, जिला न्यायालय, भोपाल (म.प्र.)
  - 11- उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
  - 12- आई०टी०शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची मे अद्यतन करने हेतु,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

High Court of Madhya Pradesh  
JABALPUR  
12 JUL 2021  
Reg No... 1026  
Receipt Clerk  
High Court Jabalpur  
R.V.

12-7-21

(प्रशांत कुमार)  
अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

(2)

स्पीड पोस्ट

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल- 462004

// संशोधित आदेश //

भोपाल दिनांक 06.07.2021

फा.कमांक-2265/21-ब(दो) राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.07.2021 के द्वितीय पैरा की पक्ति दूसरी में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

“अधिसूचना दिनांक 15/07/2007 के अनुसार अधिकतम सीमा मासिक न होकर 7,000/- रुपये प्रति होगी” के स्थान पर “अधिसूचना दिनांक 15/11/2007 के अनुसार न होकर 7,000/रुपये प्रति प्रकरण होगी” पढ़ा जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(प्रशांत कुमार)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल, दिनांक 06/07/2021

फा.कमांक-2265/21-ब(दो)2021

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार जेनरल, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर (म.प्र.)
  - 2- महाधिवक्ता, कार्यालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (म.प्र.)
  - 3- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला भोपाल (म.प्र.)
  - 4- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला भोपाल (म.प्र.)
  - 5- विशेष न्यायालय, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)
  - 6- सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)
  - 7- संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, भदभदा रोड भोपाल (म.प्र.)
  - 8- निज सचिव, माननीय विधि मंत्रीजी, के
  - 9- श्री कमल किशोर वर्मा आ.श्री डी0पी0वर्मा, निवासी-59, आकाशवाणी कॉलोनी, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल
  - 10- पुलिस महानिदेशक म.प्र., पुलिस महानिदेशक कार्यालय पी0एच0क्यू0, जहांगीराबाद, भोपाल
  - 11- लोक अभियोजक / शासकीय अभिभाषक, जिला न्यायालय, भोपाल (म.प्र.)
  - 12- उप नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
  - 13- आई0टी0शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एवं विभागीय वेबसाइट पर दर्ज सूची में अद्यतन करने हेतु,
- की ओर सूचीकरण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

JABALPUR  
12 JUL 2021  
Reg No. 1014  
Receipt Clerk R.K.  
High Court Jabalpur

Post Date  
12-7-21

(प्रशांत कुमार)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग